Details of Roads

370. Shri Bharat Bhushan Batra, M.L.A.: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state:-

a) whether it is a fact that there was a NH Delhi-Suleman Road which is passing through out the Rohtak city ;
b) which portion of the road starting from Rajiv Chowk near circuit House upto IMT Chowk Rohtak is part of NHAI and which is of State Highway ;
c) the width of road at different places from Circuit House Chowk upto IMT Chowk;
d) the width of the green belt carved out by the State Government vide master plan of Rohtak, 2031;
e) the number of unauthorized constructions on both the sides of said roads;
f) the steps taken by the Government to demolish the abovesaid unauthorized constructions ;
g) the name of responsible officer in State by whose negligence the abovesaid unauthorized constructions have been erected ; and
h) the copy of the plan of the road and greet belt (no construction zone) as per record of State Government & NHAI ?

Sh. Anil Vij, Urban Local Bodies, Minister

a) Yes, Sir
b) No portion of this stretch is a National Highway or State Highway.
c) The width of the road in the entire stretch from Circuit House Chowk upto IMT, Chowk is 99 feet.
d) The width of green belt stated by the State Government vide Revised Draft Development Plan of Rohtak, 2031 AD, published on 18.11.2020 is as under;

Road Category	**Name**	**Width**	**Remarks**
V-I V-I A	Bye pass(Town) Bye pass(Village)	75 Metre 60Metre	100 Metre Green Belt on both the sides of the bye pass.
V-I C	National High Way -352	60 Metre	60 Metre Green Belt on both sides of the National High Way.
V-2	Major Road	60 Metre	Widened from earlier 45 Metre width and proposed30 Metre green belt on both sides.
V-2 A	Sector Dividing Road	45 Metre	Widened from earlier 30 Metre width where such roads have not been constructed/plan implemented.
V-2 AA	Part of NH-9 from Bye pass junction to sector 29-30 junction	60 Metre	150 mtr. green belt along sector 30 A and 30 B, 30 mtr wide green belt along sector 27, 27A,27B and 30 and 18 mtr wide green belt green belt at particular stretch of CLU granted site in sector-27A.
V-2 AB	Part of NH-9 from sector 29-30 junction to sector27-28 dividing road	60 Metre	30 Metre green belt in sector-27 and 50 mtr green belt in sector-29.

V-2 AC	Sector dividing road sector-4 and 5.	60 Metre	Already constructed road as per Revised Draft Development Plan, 2025AD Rohtak.
V-2B	Major Road (Bhiwani and Sonipat Scheduled Road)	60 Metre	30 metre green belt on both sides.
V-2B1	Outer road of proposed IMT	60 Metre	100 metre wide green belt only on outer side
V-2C	Sector road	60 Metre	_
V-3	Sector Dividing Road and road between 1-2 and 32	30 Metre	Earlier 30 Metre wide such roads which has been constructed/plan implemented.

e) There are several construction along Delhi Bye pass to IMT Chowk. The Government. in the said area has notified 3 colonies namely Friends Colony Extn. 5, Friends Colony Extn. 6, Asthal Bohar Colony Extn.5. The said constructions are both new & old includes building of Tourism Deptt. Hotel Management college, Baba Mast NathMath University, Choudhery Ranbir Singh Hooda Memorial, Indus School, old petrol pump, Omaxe city& Suncity. In relation to action taken against illegal constructions between Delhi Byepass to I.M.T. Chowk, show cause notices under section 350 A(2) & 350 A(B) of the Haryana Municipal Corporation Act 1994 has been issued to 47 illegal developers. After issuance of show cause notices cases for registering FIR under section 350C of the Haryana Municipal Corporation Act 1994, vide memo no MCR/TP/BI-1/1164 dated 7/2/2017 & MCR/TP/BI-1/1257 dated 21.03.2018 had been sent to concerned Police Station Incharge.

f) Demolition drives were conducted in the said area on 11.04.2018 & 20.12.2019 which were mentioned in newspaper dated 12.04.2018 & 21.12.2019

g) Since, appropriate action against illegal constructions have been taken by authorities from time to time, therefore no negligence can be reported at this point of time.

h) The copy of the plan of the road and green belt is at Annexure- A.

Annexure- A

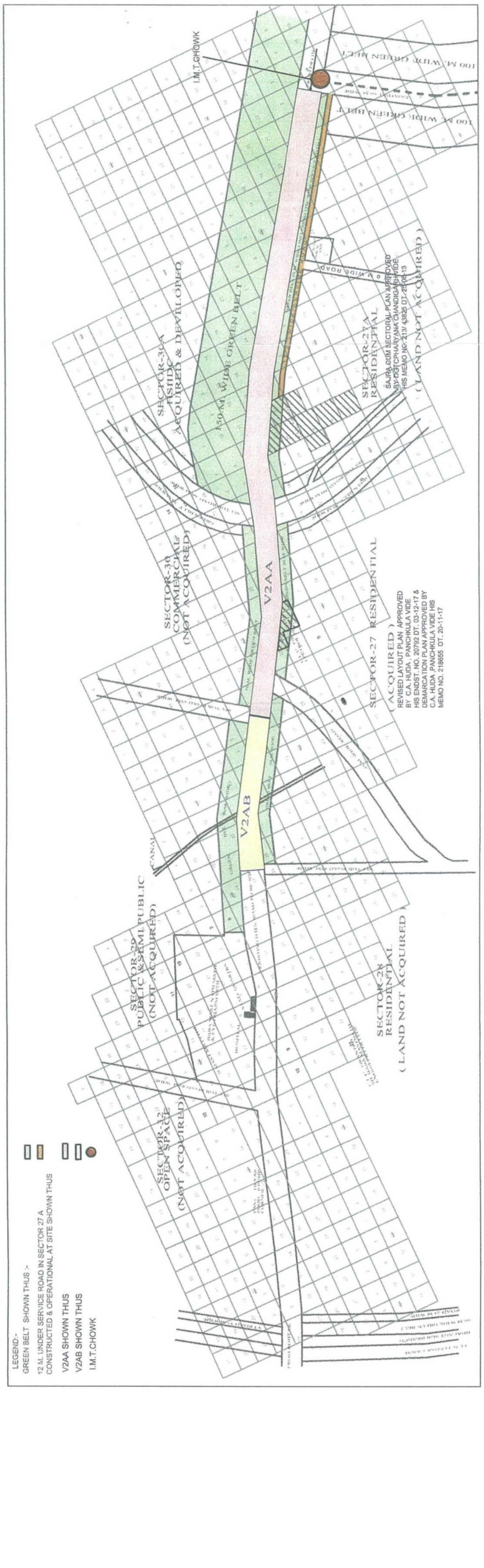
I.M.T.CHOWK
100 M. WIDE GREEN BELT
SECTOR-30A HSIIDC ACQUIRED & DEVELOPED
150 M. WIDE GREEN BELT
SECTOR-27A RESIDENTIAL
(LAND NOT ACQUIRED)
SECTOR-30 COMMERCIAL (NOT ACQUIRED)
V2AA
SECTOR-27 RESIDENTIAL (ACQUIRED)
V2AB
CANAL
SECTOR-29 PUBLIC & SEMI PUBLIC (NOT ACQUIRED)
SECTOR-28 RESIDENTIAL (LAND NOT ACQUIRED)
SECTOR-32 OPEN SPACE (NOT ACQUIRED)
LEGEND:-
GREEN BELT SHOWN THUS :-
12 M. UNDER SERVICE ROAD IN SECTOR 27 A CONSTRUCTED & OPERATIONAL AT SITE SHOWN THUS
V2AA SHOWN THUS
V2AB SHOWN THUS
I.M.T.CHOWK

सड़कों का ब्यौरा

370. **श्री भारत भूषण बतरा, एम.एल.ए.:** क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृप्या बताएंगे किः–

(क) क्या यह तथ्य है कि राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली–सुलेमान सड़क थी जो रोहतक शहर के बाहर से गुजर रही है;

(ख) सर्किट हाऊस के समीप राजीव चौक से आरम्भ होने वाली आई.एम.टी. चौक रोहतक तक की सड़क का कौन सा भाग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण का है तथा कौन–सा राज्य राजमार्ग का हिस्सा है;

(ग) सर्किट हाऊस चौक से आई.एम.टी. चौक तक विभिन्न स्थानों पर सड़क की चौड़ाई कितनी है;

(घ) रोहतक मास्टर प्लान, 2031 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा काटी गई हरित पट्टी की चौड़ाई कितनी है;

(ड़) उक्त सड़कों के दोनों ओर अनधिकृत निर्माणों की संख्या कितनी है;

(च) उपरोक्त अनधिकृत निर्माणों को गिराने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए गए;

(छ) राज्य में उस उत्त्तरदायी अधिकारी का नाम क्या है जिसकी लापरवाही से उपरोक्त अनधिकृत निर्माण खड़े किये गये है; तथा

(ज) राज्य सरकार तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण रिकॉर्ड के अनुसार हरित पट्टी (गैर निर्माण क्षेत्र) तथा सड़क की योजना की अनुकृति क्या है ?

श्री अनिल विज, शहरी स्थानीय निकाय, मंत्री

(क) हां, श्रीमान

(ख) इस खंड का कोई भी हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग या राज्य राजमार्ग नहीं है।

(ग) इस पूरे खंड में सड़क की चौड़ाई सर्किट हाउस चौंक से आई.एम.टी चौक तक 99 फीट है।

(घ) राज्य सरकार द्वारा बताई गई ग्रीन बेल्ट की चौड़ाई, 18.11.2020 को प्रकाषित संषोधित मसौदा विकास योजना रोहतक, 2031 ई के तहत निम्नानुसार हैः

सड़क प्रवर्ग	नाम	चौड़ाई	टिप्पणी
वी–1	बाईपास (शहरी)	75 मीटर	बाईपास के दोनो तरफ 100 मीटर की हरित पट्टी
वी –1 क	बाईपास (गांव)	60 मीटर	
वी–1 ग	राष्ट्रीय राजमार्ग–352	60 मीटर	राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ 60 मीटर हरित पट्टी
वी –2	मुख्य सड़क	60 मीटर	पुरानी 45 मीटर से बढ़ाकर तथा दोनो तरफ 30 मीटर हरित पट्टी प्रस्तावित
वी– 2 क	सेक्टर विभाजक सड़क	45 मीटर	पहले से 30 मीटर चौड़ाई से बढ़ाकर चौड़ा करना जहाँ ऐसी सड़क नहीं बनाई गई

			है/ योजना क्रियान्वित नहीं की गई है।
वी– 2 क क	बाईपास जंक्षन से सेक्टर 29–30 के जंक्षन तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 9 का हिस्सा	60 मीटर	सेक्टर–30 ए तथा 30 बी के साथ 150 मीटर चौड़ी हरित पट्टी सैक्टर–2727ए,27बी तथा 30मीटर चौड़ी हरित पट्टी तथा सैक्टर 27ए में स्थित भूमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति प्राप्त स्थल के सामने 18 मीटर चौड़ी हरित पट्टी।
वी– 2 क ख	सेक्टर 29–30 के जंक्षन से सेक्टर 27–28 की विभाजक सड़क तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 9 का हिस्सा	60 मीटर	सेक्टर – 29 मे 50 मीटर की हरित पट्टी, सेक्टर – 27 में 30 मीटर हरित पट्टी।
वी – 2क–ग	सेक्टर विभाजक सड़क सेक्टर 4 तथा 5	60 मीटर	संषोधित प्रारूप विकास प्लान 2025 ई के अनुसार पूर्व निर्मित सड़क।
वी– 2 ख	मुख्य सड़क (भिवानी और सोनीपत अनुसूचित सड़क)	60 मीटर	दोनो तरफ 30 मीटर की हरित पट्टी
वी–2 ख 1	प्रस्तावित आई.एम.टी की बाहरी सड़क	60 मीटर	बाहरी तरफ केवल 100 मीटर हरित पट्टी
वी– 2 ग	सेक्टर सड़क	60 मीटर	–
वी– 3	सेक्टर विभाजक सड़क तथा सेक्टर 1,2 तथा 3,4 के मध्य सड़क	30 मीटर	पहले की ऐसी 30 मीटर चौड़ी सड़के जो निर्मित की गई है/ योजना क्रियान्वित की गई है।

(ड़) दिल्ली बाईपास से आईएमटी चौक तक कई निर्माण हैं। सरकार ने उक्त क्षेत्र में 3 कॉलोनियों को अधिसूचित किया गया है जिनके नाम है फ्रेंड्स कॉलोनी एक्सट्न 5, फ्रेंड्स कॉलोनी एक्सट्न 6, अस्थल बोहर कॉलोनी एक्ट्सन 5। उक्त निर्माण नए और पुराने दोनों हैं जिसमें पर्यटन विभाग की इमारत, होटल मैनेजमेंट कॉलेज, बाबा मस्त नाथ मठ विष्वविद्यालय, चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा मेमोरियल, इंडस स्कूल, पुराना पेट्रोल पंप, ओमेक्स सिटी और सनसिटी शामिल है।

दिल्ली बाईपास से आईएमटी चौक के बीच अवैध निर्माणों के खिलाफ की गई कार्रवाई के संबंध में हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 350 ए (2) और 350 ए(बी) के तहत कारण बताओ नोटिस 47 अवैध डेवलपर्स को जारी किया गया है। कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 350 सी के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए, एमसीआर/टीपी / बीआई –1/1164 दिनांक 7.2.2017 और एमसीआर/ टीपी /बीआई –1 /1257 दिनांक के विमोचन 21.3.2018 के द्वारा संबंधित पुलिस स्टेषन प्रभारी को भेज दिया गया था।

(च) उक्त क्षेत्र में दिनांक 11–04–2018 और 21–12–2019 को तोड़फोड़ अभियान चलाए गए थे, जिनका उल्लेख दिनांक 12–04–2018 ओर 21–12–2019 के अखबार में किया गया था।

(छ) चूंकि, अधिकारियों द्वारा समय–समय पर अवैध निर्माण के खिलाफ उचित कार्रवाई की गई है, इसलिए इस समय किसी भी लापरवाही की सूचना नहीं दी जा सकती है।

(ज) सड़क और ग्रीन बेल्ट की योजना की प्रति अनुबंध – क पर है।